उत्तरांचल शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्या– 46 /सा0प्रशा0/2004,
देहरादूनःदिनांकः 22 जनवरी, 2004

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रमुख स्थानिक आयुक्त/स्थानिक आयुक्त कार्यालय की प्रभावशीलता और उपयोगिता की समीक्षा करने के उपरान्त उक्त कार्यालय को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में लम्बित विभिन्न प्रकरणों के अनुश्रवण की प्रक्रिया को सक्रिय करने हेतु स्थानिक आयुक्त कार्यालय को सुदृढ़ किए जाने के संबंध में शासन द्वारा गम्भीरता पूर्वक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिए गये हैं :–

1– प्रमुख स्थानिक आयुक्त/स्थानिक आयुक्त कार्यालय, उत्तरांचल , नई दिल्ली को उत्तरांचल के नई दिल्ली में स्थित समस्त विभागीय कार्यालयों और विभागों के अधीनस्थ उपक्रमों का नियंत्रक अधिकारी घोषित किया जाता है।

2– प्रमुख स्थानिक आयुक्त/स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली स्थित समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उनके विभागीय कार्यों और विभागीय कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के संबंध में मूल्यांकन अधिकारी भी होंगे और उनके द्वारा अधिकारियो/कर्मचारियों द्वारा किया गया मूल्यांकन इन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक प्रवृष्टि के रूप में रखा जायेगा ।

3– नई दिल्ली स्थित विभागों के संबंधित प्रमुख सचिव/सचिव अपने समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों को प्रमुख स्थानिक आयुक्त/स्थानिक आयुक्त कार्यालय के साथ तात्कालिक प्रभाव से सम्बद्ध करेंगे ।

4– नई दिल्ली स्थित समस्त विभागों के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन आदि का आहरण एवं वितरण भी प्रमुख स्थानिक आयुक्त/स्थानिक आयुक्त द्वारा सम्पादित कराया जायेगा।

5– नई दिल्ली स्थित समस्त विभागीय कार्यालयों /उपक्रमों के संबंध में प्रमुख स्थानिक आयुक्त/स्थानिक आयुक्त को संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा विभागाध्यक्ष के भी प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार प्रदान किए जावेंगे और उनके प्रमुख स्थानिक आयुक्त/स्थानिक आयुक्त द्वारा यह अधिकार केवल नई दिल्ली की सीमा तक और नई दिल्ली में कार्यरत उत्तरांचल के समस्त विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू होंगें।

6– नई दिल्ली स्थित समस्त विभागों के समस्त प्रमुख सचिव/सचिवों द्वारा अपने –अपने विभाग के अधीन अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में उपरोक्त व्यवस्था को तात्कालिक प्रभाव से लागू करने के लिए अपने –अपने स्तर से प्रशासनिक आदेश निर्गत किया जायेगा और इसकी प्रति प्रमुख स्थानिक आयुक्त/स्थानिक आयुक्त को प्रेषित करेंगें।

7– प्रमुख स्थानिक आयुक्त/स्थानिक आयुक्त द्वारा नई दिल्ली स्थिति समस्त विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रमुख स्थानिक आयुक्त/स्थानिक आयुक्त कार्यालय का ही एक भाग मानते हुए प्रमुख स्थानिक आयुक्त/स्थानिक आयुक्त कार्यालय का वर्तमान विभागीय ढांचा शासन को भेजकर उस पर शासन का अनुमोदन प्राप्त करेंगें तथा भविष्य में विभागीय कार्यों के घटने बढ़ने

के साथ उपरोक्त विभागीय ढाचों में भी समय-समय पर आवश्यक परिवर्तन /संशोधन की कार्यवाही की जायेगी।

8— शासनादेश जारी होने के उपरान्त प्रमुख स्थानिक आयुक्त/स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली में स्थित उत्तरांचल के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की एक बैठक बुलाकर उनके बीच अपने-अपने विभागों के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी इस प्रकार से वितरित करायेंगे जिससे समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नई दिल्ली के विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कार्यों का समान रूप से आवंटन हो जाय।

9— नई दिल्ली स्थित सभी विभागीय अधिकारी/कर्मचारी अपने-अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रमुख स्थानिक आयुक्त/स्थानिक आयुक्त द्वारा प्रदत्त कार्यों का भी अनुश्रवण करके प्रमुख स्थानिक आयुक्त एवं स्थानिक आयुक्त को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।

आर0एस0 टोलिया,
मुख्य सचिव।

संख्या- 46 (1)/सा0प्रशा0/2004, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को शीघ्र आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1— महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2— समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तरांचल शासन।
3— प्रमुख स्थानिक आयुक्त/स्थानिक आयुक्त, उत्तरांचल, नई दिल्ली।
4— स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
5— वित्त अनुभाग-3,उत्तरांचल शासन।
6— सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7— समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
8— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0सी0 शर्मा) 21/1
सचिव।